पत्र संख्या–6/आधु0–01–03/2012 गृ0आ0...................../

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

राधा नन्दन प्रसाद
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक

विषयः– **Anti Human Trafficking units हेतु स्वीकृत योजनाओं के लिए वर्ष 2010–11 में स्वीकृत ₹ 53.06 लाख में से शेष बची राशि ₹ 6.67611 लाख (छः लाख सड़सठ हजार छः सौ ग्यारह रू0) की सीमा तक वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं अनुवर्ती वर्षों के लिए पुनर्वैधिकरण करते हुए ₹ 6.67611 लाख (छः लाख सड़सठ हजार छः सौ ग्यारह रू0) मात्र के व्यय एवं कार्यान्वयन हेतु अवधि विस्तार की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभगीय स्वीकृत्यादेश सं0–9716, दिनांक 20.11.2014 द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 में पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत Anti Human trafficking units के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार से विमुक्त कुल ₹ 53.06 लाख (तिरपन लाख छः हजार रू0) में से मात्र शेष बची राशि ₹ 13,90,011 (तेरह लाख नब्बे हजार ग्यारह रू0) मात्र के कार्यान्वयन हेतु अवधि विस्तार की स्वीकृति की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त स्वीकृति का कुछ जिलों ने सामग्री का क्रय विलम्ब से किया ओर कुछ जिलों ने मुख्यालय को विपत्र विलम्ब से उपलब्ध कराया है जिसके कारण इस मद में ₹ 6.67611 लाख की राशि शेष बची हुयी है।

2. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के पत्रांक 922/आपूर्ति, दिनांक 26.08.2016 के आलोक में Anti Human Trafficking units हेतु स्वीकृत योजनाओं के लिए वर्ष 2010–11 में स्वीकृत ₹ 53.06 लाख में से शेष बची राशि ₹ 6.67611 लाख (छः लाख सड़सठ हजार छः सौ ग्यारह रू0) की सीमा तक वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं अनुवर्ती वर्षों के लिए पुनर्वैधिकरण करते हुए ₹ 6.67611 लाख (छः लाख सड़सठ हजार छः सौ ग्यारह रू0) मात्र के व्यय एवं कार्यान्वयन हेतु अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उपर्युक्त ₹ 6.67611 लाख (छः लाख सड़सठ हजार छः सौ ग्यारह रू0) मात्र का निकासी वित्तीय वर्ष 2016–17 में मांग सं0–22, मुख्य शीर्ष 2055–पुलिस, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 115–पुलिस बल का आधुनिकीकरण, उपशीर्ष 0001–पुलिस आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार के समतुल्य राशि, विषय शीर्ष 52 01–मशीनें एवं उपस्कर तथा विपत्र कोड N2055001150001 से विकलनीय होगा।

4. उक्त राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना होंगे।

5. विभिन्न वाहनों, उपकरणों एवं हथियारों का क्रय पुलिस महानिदेशक के द्वारा इस कार्य हेतु गठित केन्द्रीय क्रय समिति के माध्यम से बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

6. बिहार कोषागार संहिता, 2011 का विहीत विपत्र पर राशि की निकासी की जायेगी।

7. निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यक कागजात को संलग्न किया जायेगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण—पत्र का उल्लेख अवश्य करेंगे।

9. डी0सी0 विपत्र/उपयोगिता प्रमाण—पत्र 3 माह के अंदर समर्पित किया जायेगा।

10. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जायेगा।

11. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/—

(राधा नन्दन प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः—6/आधु0—01—03/2012 गृ0आ0....7951.......पटना, दिनांक— 3/10/16

प्रतिलिपिः— कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/महानिदेशक—सह—अध्यक्ष—सह—प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण विभाग, पटना/पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा—5), पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राधा 30/09/16

सरकार के अवर सचिव